संख्या-445/2024/101/41-1-2024-001-सी0एन0-1802768-2024

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 28 मार्च, 2024

विषय:- **जनपद मथुरा के अन्तर्गत वृन्दावन स्थित कुम्भ क्षेत्र में केशीघाट से कुम्भ द्वार तक परिक्रमा मार्ग के किनारे फेंसिंग के कार्य की अवशेष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-7404/6-1-1/ब्र0ती0वि0प0(125)/2021, दिनांक 02.01.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से **जनपद मथुरा के अन्तर्गत वृन्दावन स्थित कुम्भ क्षेत्र में केशीघाट से कुम्भ द्वार तक परिक्रमा मार्ग के किनारे फेंसिंग के कार्य** से सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध कराते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय व्ययक अनुदान संख्या-5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य 104-संवर्धन तथा प्रचार-42-उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मथुरा में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास 24-वृहत् निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि में सक अवशेष धनराशि को अवमुक्त करने का अनुरोध किया है।

2- अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए पर्यटन अनुभाग के शासनादेश संख्या-486/2021/आई/104481/41-1002(001)/24/2021, दिनांक 06.10.2021 द्वारा धनराशि रू0 110.18 लाख+ जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के आधार पर अनुमन्य) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 25.00 लाख, शासनादेश संख्या-480।2022/आई/213392/41-1002(001)/24/2021/2749/002-41-2022-122- Budget-2021, दिनांक 14.09.2022 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में 50.00 लाख व शासनादेश संख्या-589/2022/2518/001-41-2022-175- Budget-2021, दिनांक 23.11.2022 द्वारा कन्टीजेन्सी मद में रू0 1.85 लाख, अर्थात अब तक कुछ रू0 76.85 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं **जनपद मथुरा के अन्तर्गत वृन्दावन स्थित कुम्भ क्षेत्र में केशीघाट से कुम्भ द्वार तक परिक्रमा मार्ग के किनारे फेंसिंग के कार्य** हेतु अन्तिम किश्त के रूप में धनराशि रू0 3.61.298.00 (रू0 तीन लाख इकसट हजार दो सौ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

अठ्ठानवे मात्र) जी0एस0टी0 सहित को अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सूनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 06.10.2021, दिनांक 14.09.2022 व दिनांक 23.11.2022 में अंकित शर्तो व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त मकी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय -व्ययक), अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में निहित शर्तो एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(3) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाप। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(6) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्यपक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून 2017 में दिये गये निर्देशो तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

10) अवमुक्त की जा रही धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था, पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण- पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुये (तिपि सहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

(12) प्रश्नगत परियोजना हेतु सोलर लाइट/सौर ऊर्जा से सम्बन्धित लाइटों/उपकरणों का क्रय उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) से नियमानुसार क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) परियोजना के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट एक पक्ष के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में उक्त कृत्य को अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित
परियोजना प्रबन्धक/अपर परियोजना प्रबन्धक एवं ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशालय सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/उप निदेशक, पर्यटन द्वारा की जायेगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 3,61,298.00 (रू० तीन लाख इकसठ हजार दो सौ अट्ठानवे मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुसार 5452801044200 उत्तर प्रदेश बज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मथुरा में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास मानक मद-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023- 231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्राविधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदेव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, मथुरा।
4. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा।
7. निदेशक, उ० प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA), तखनऊ। 7
8. अधिशाषी अभियन्ता, मधुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा। 8
9. उप निदेशक (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-4, 5, 6, 7 व 8 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।